P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6* ISSUE-8* (Part-1) April- 2019
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

जातीय समस्या के समाधान में भारत की भूमिका

गुलाब चन्द्र मीना
सह आचार्य,
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
बांदीकुई, राजस्थान, भारत

सारांश

जातीय समस्या के समाधान में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारत ने श्री लंका की जातीय समस्या को हल करनें के लिए महत्वपूर्ण सुझाव पेश कियें। [1]

'श्री लंका की सबसे पहले कोलम्बों स्थित भारतीय उच्चायुक्त जी. एन. दीक्षित से बात हुई। इसके बाद विदेश राज्य मंत्री नटवर सिंह पी. चितम्बरम् और विदेश सचिव के. पी.एस. मेनन के साथ कई चक्र बातचीत हुई। भारत ने श्री लंका सरकार से कहा कि वह बिना तामिल संगठनों को विश्वास में लिए कोई समझौता नही करेगी । जब श्री लंका इस पर तैयार हो गया तो केन्द्रीय नेताओं ने तामिल के मुख्यमंत्री एम. जी. रामचन्द्रन तुल्फ के नेता अमृत लिंगम प्लॉट के नेताओं व बाकी तामिल संगठनों से चर्चा करके समझौते का ब्यौरा तैयार किया । इस ब्यौर पर सभी तमिल संगठन सहमत थे। लेकिन असली सवाल 'लिट्टें का था। उससे बातचीत करनें के लिए भारतीय उच्चायुक्त के प्रथम सचिव एच. एस. पुरी को लगाया गया। उन्होने पहले लिट्टें प्रतिनिधि श्री दिलीप जोगी और बाद में श्री वी प्रभाकरण से बातचीत करके सुधार व संशोधन के बाद एक प्रारूप तैयार किया। इस प्रारूप को श्री प्रभाकरन ने दिल्ली आकर सहमति दी। सही मसवीदा राष्टपति जयव़र्द्धन को दिखाया गया जिस पर वह पहले तैयार नही थे।[2] लेकिन बाद में इसके लिए तैयार हो गए।

कोलम्बों मे 29 जुलाई 1987 को समझौते पर हस्ताक्षर हुए और सिंहलीयों ने इसके खिलाफ इतना रोष था कि एक सिंहली नौ सैनिक ने भारत के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी पर हमला भी किया बहराल खुशी–खुशी तामीलों ने इस समझौते को स्वीकार कर लिया प्लाट सहित जितने तमिल संगठन थे। उन्होने अपने हथियार शांति सेना को सौप दिए।'' [3]

मुख्य शब्द : जातीय समस्या, भारत की भूमिका, समाधान।

प्रस्तावना

हमारे तत्कालीन नेतृत्व ने समझौते की नीति द्वारा विजय का ताज पहनने को ही शासन नीति का एक अंग समझ लिया कदाचित इसी कारण पहले श्री लंका का तमिलो पर नित्य होता दमन चक्र राजनीति के झरोखे से देखा और ..... स्थिति अनूकूल लगी तो समझौते के प्रयास किए। श्री लंका ने भी स्थिति का भरपूर लाभ उठातें हुए समझौते की झंडी दिखाकर अपनी बुद्धिमतापूर्ण कूटनीति का परिचय दिया। फिर आनन फानन में एक शांति समझौता हुआ। दोनों ही पक्षों ने अपनी अपनी दृष्टि से बाजी मारी और कडी आलोचनाओं के बाद स्वदेशी विदेशी वाहवाही लूटी। इस शांति समझौते में परिलक्षित श्री लंका का पलड़ा भारी बैठा। भारत ने इसे फूलो का ताज समझा था, वास्तव में वह कांटो का ही ताज सिद्ध हुआ'' [4]

तटस्थ लोगो ने समझौते के प्रति जो घनघोर आकांक्षाए जताई वे सभी उचित समय पर सही सिद्ध हुई। पता नही इसका एहसास हमारे नेतृत्व को था या नही। पर इतना अवश्य हैं कि भारत इस समझौते से हानि में ही रहा है उसकी देश विदेश में कटु आलोचनाए भी हुई और उसे अपनी शांति सैनिको को समझौतावादी नीति की बलिवेदो पर शहीद होते हुए भी देखना पडा। क्यूंकि श्री लंका सरकार तथा तमिल आतंकवादियों के बीच पंचायत करते हुए भले ही सभी पक्षों को विश्वास में न लेते किन्तु इस नीति का औचित्य क्या था कि हम अपने सैनिको के आतंकवाद के बीहड में उतार दे। समझौते के मुद्दे तय करवाने में हमारी भूमिका एवं प्रभाव का एक महत्व अवश्य था'' [5]

टकराव का प्रारम्भ

वास्तव में लिट्टें की राजनीति थी कि वह भारत को भी समझौते द्वारा क्षति में रखेगा और अपने संरक्षक चीन का भी कृपापात्र बना रहेगा। इसलिए

उसने मात्र 109 अस्त्र ही सौपें और बाकी के लिए कह दिया कि वह उन्हें अपनी आत्मसुरक्षा हेतु रखेगा।' [6]

जब भारत ने उसे वचन दिया कि उसकी शांति सेना उन्हें पूर्ण सरंक्षण देकर सुरक्षा करेगी तो भी वह तैयार नही हुआ, इतना ही नही उसने अपने प्रभूत्व को जमाए रखने हेतु जाफना बत्तीकलोवा त्रिकोमाली आदि महत्वपूर्ण क्षेत्रों से भी अपने मोर्चे समाप्त करने हेतु दृढतापूर्वक मना कर दिया। उसने सरकार चलाने हेतु गुटहत अंतिम परिषद में भी मनमानी चाही जब लिट्टे के चीते समझाने बुझाने पर भी न माने और और उन्होने निर्दोष तमिलों को शिकार बनाना शुरू कर दिया तो भारतीय शांति सेना को उनके विरूद्ध सीमित कार्यवाही करनी पडी। इसका उत्तर लिट्टे ने घनघोर हिंसात्मक कार्यवाही से देना प्रारम्भ कर दिया। [7]

भारत को भी बहुत विविध होकर लिट्टे के विरूद्ध जवाबी कार्यवाही करनी पडी भारतीय शांति सेना ने श्री लंका समझौता लागू करने तथा तमिलों के आतंकवाद ग्रस्त क्षेत्रों में शांति की स्थापना हेतु 48 घण्टे का युद्ध विराम लागू किया फिर भी लिट्टे के मुक्ति चीते इस अवाधि में तथा उसके पश्चात् भी जो भड़काने वाली कार्यवाहियां करते रहें उनकी मनोवृत्ति तथा रणनीति स्पष्ट हो गई। [8]

शांति की स्थापना

'' भारत ने ले. जनरल देपिंदर सिंह के नेतृत्व में अपने लगभग 8000 शांति सैनिक लंका में भेजकर अन्ततोगत्वा वहां शांति की स्थापना करने में ऐतिहासिक सफलता प्राप्त कर ही ली। विडम्बना यह रही कि भारतीय सेना को प्रमुखतया लिट्टे का ही दमन करना पडा जिसमें लगभग 2200 मुक्ति चीतों को जीवन से हाथ धोना पड़ा। इा शांति अभियान ने भारत को अपने 1155 रण बाकुरों के जीवन की आहूति देनी पडी और उसके 2984 शांति सैनिक घायल हुए। [9]

श्रीलंका की कृतघ्नता

भारतीय शांति सेना की भारी सफलता से जल भुन कर श्री लंका सरकार के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री प्रेमदास जो राष्ट्रपति जयवर्द्धन के बाद में उत्तराधिकारी बनें ने भारत से अविलम्ब अपनी शांति सेना की वापसी की मांग की। भारत द्वारा तमिल के हितो की सुरक्षा सुनिश्चित किये बिना हटने के प्रगति असमर्थता व्यक्त करने मे श्री प्रेमदास तथा उनकी सरकार ने काफी बोलबाला मचाया।

अतः हम कह सकते है कि जातीय समस्या में भारत की महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है। श्री लंका में शांति स्थापित करना भारत का प्रमुख हाथ था।

श्री लंका में शांति और सामान्य स्थिति स्थापित करने के लिए जो समझौता हुआ था उसमें भारत को और जातीय समस्या को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 10

1. श्री लंका की एकता, राष्ट्रीय अखण्डता और सार्वभौमिकता की रक्षा की जाएगी।
2. यह मानते हुए कि श्री लंका बहुजातीय और बाहुभाषी देश है, जिसमें सिहली, तमिल , मुस्लिम और बूर्धर शामिल है, यह समझौता किया जा रहा है।
1. यह भी स्वीकार किया जाता है कि प्रत्येक जाति को अपनी पृथक संस्कृति और भाषायी स्वरूप है। अतः उसके फलने फूलने का पूरा अवसर मिलता रहेगा।[11]
2. यह भी स्वीकार किया जाता है कि पूर्वो और उत्तरी प्रान्त ऐतिहासिक, रूप से श्री लंका के तमिल भाषी लोगों का निवास स्थान रहा है ये लोग यहां पर अन्य जातियों के साथ सौहार्द पूर्वक रहते आये हैं । [12]
3. श्री लंका की राष्ट्रीय एकता ,अखण्डता, सार्वभौमिकता को मजबूत करने के लिए आवश्यक कदमों को ध्यान में रखतें हुए तथा उसकी बहुजातीय, बहुभाष, भाषीय बहुधर्मीय समाज को विविधता पूर्ण स्वरूप का ध्यान करते हुए साथ ही यह भी दृष्टिगत करते हुए कि श्री लंका की जनता को समानता, सुरक्षा और एकतापूर्वक अपनी आशाओं, आकांक्षाओंको पूरा करने के लिए अवसर मिल सके । [13]

यह निश्चित किया जाता है कि–

1. चूंकि श्री लंका की सरकार अनुमति देने को तैयार है कि एक दूसरे से सटे उत्तरी और पूर्वो प्रान्तों को मिलाकर एक प्रशासकीय इकाई बना दी जाए और बाद में जनमत संग्रह के द्वारा इसको संयुक्त करने का निर्णय लिया जाय अतः निम्न व्यवस्था की जाती है।: [14]
2. अंतरिम शासन की अवधि में अर्थात पैरा –2 (8) में भी दी गई है– व्यवस्था के अर्न्तत प्रान्तीय परिषद के चुनाव को तिथि से पैरा 2 – (3) में दी गई है। व्यवस्था के अंतर्गत जनमत संग्रह की तिथि तक उत्तरी और पूर्वी प्रान्त जैसा कि वर्तमान स्वरूप में है, एक संयुक्त प्रशासनिक इकाई रहेगें। इसके प्रशासन के लिए एक निर्वाचित प्रान्तीय परिषद होगी, जिसमें गर्वनर, मुख्यमंत्री तथा उसका एक मंत्रीमंडल होगा। [15]
3. 31 दिसम्बर 1988 या उससे पूर्व एक जनमत संग्रह कराया जाएगा ताकि पूर्वी प्रान्त के लोग यह फैसला कर सके कि –
   i. यह कि पूर्वी प्रान्त को उत्तरी प्रान्त के साथ संयुक्त रखा जाय और उसकी एक प्रशासनिक इकाई हैं और पैरा (2) के अंर्तगत दी गई व्यवस्था क अनुसार ही उसका शासन हो – अथवा –
   ii. पूर्वी प्रान्त की अलग से प्रशासनिक इकाई बनायी जाय और उसका पृथक प्रान्तीय गर्वनर मुख्यमंत्री और मंत्रीमंडल हो। [16]

   राष्ट्रपति को यह अधिकार होगा कि वह अपने विवेक के अनुसार इस जनमत संग्रह को स्थापित कर दे अथवा इसके लिए आदेश दें।
4. वे सभी लोग जो जातीय संघर्ष या अन्य किसी कारण से विस्थापित हो गये है। उन्हे भी ऐसे जनमत संग्रह में मत देने का पूरा अधिकार होगा ऐसे लोगों को उनके स्थानों पर वापस लाने के लिए उचित व्यवस्था की जाएगी और अनुकूल स्थिति बनाई जाएगी।
5. जनमत – संग्रह का निरीक्षण श्री लंका के मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में गठित एक कमेटी करेगी।इसमें एक सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त और

श्रीलंका सरकार द्वारा मनोनीत होगा और दूसरा सदस्य जो राष्ट्रपति नियुक्त करेगे उसे पूर्वी प्रान्त को तमिल भाषा जनता के प्रतिनिधि मनोनीत करेगे।[17]

6. जनमत संग्रह का परिणाम सामान्य बहुमत से निर्धारित होगा।
7. जनमत संग के पूर्व श्री लंका के विधान के अंर्तगत सभाएं करने और प्रचार कार्य करने की छूट होगी।
8. प्रान्तीय परिषद के लिए चुनाव , समझौते के बाद तीन महीने के अन्दर हो जाएगी। यदि कोई व्यवधान आता है। तो भी चुनाव को 31 दिसम्बर 1987 तक अवश्य करा लिया जाएगा। उत्तरी और पूर्वी परिषदों के चुनाव के अवसर पर भारतीय प्रवर्धक बुलाए जाएगें।
9. 15 अगस्त 1987 तक पूर्वो और उत्तरी प्रान्तों से आपात स्थिति (इमरजेन्सी) हटा ली जाएगी।समझौते पर हस्ताक्षर के 48 घण्टें के अन्दर दोनों प्रान्तों में युद्ध विराम शत्रुता समाप्त हो जाएगी।[18] और उग्रवादी ग्रुट अपने सभी अस्त्र श्री लंका सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी के समक्ष समर्पित कर देगे। युद्ध विराम और अस्त्र समर्पण के साथ ही सभी सुरक्षाकर्मी 25 मई 1987 की स्थिति के समान ही अपने शिविरों और बैरकों में चले जाएगें। अस्त्र समर्पण और सुरक्षा सेनाओं की अपनी बैरकों और शिविरों में कार्य समझौत पर हस्ताक्षर के 72 घण्टें के अन्दर हो जाएगा।[19]
10. श्री लंका पूर्वी और उत्तरी प्रान्तों में कानून व्यवस्था तथा सुरक्षा की स्थिति कायम करने के लिए वही उपाय प्रयोगों में लाएगी जो वह अपने अन्य प्रान्तों में करती है और सरकार के वही संगठन एवं मशीनरी इस कार्य में लगायी जायेगी।
11. श्री लंका सरकार राजनीतिकवादियों आतंकवाद विरोधी कानून और आपातकालीन कानून के अतंर्गत बन्दी बनाए गए सभी कैदियों को आम माफी दे देंगी और उनमें पुनर्वास की विशेष व्यवस्था करेगी तथा उग्रवादी युवको को देश की सामान्य जीवन धारा से जोडने का प्रयास करेगी । भारत सरकार उन्हे इस कार्य में मदद करेगी।
12. श्री लंका सरकार इस सारी व्यवस्थाओं को स्वीकार करेगी और उन्हे लागू करेगी तथा यह भी आशा करेगी कि दूसरें भी उनका पालन करें।
13. यदि इन व्यवस्थाओं को स्वीकार किया जाए तो श्री लंका सरकार उनमें तत्काल कार्यन्वियन का प्रयास करेगी।
14. भारत सरकार इन प्रस्तावों के लिए हस्ताक्षरित रूप से गास्ती देगी और इन पर अमल कराने में श्री लंका सरकार का सहयोग करेगी। [20]
15. ये प्रस्ताव 4 मई 1986 से 19 दिसम्बर 1986 के बीच स्वीकृत प्रस्तावों के आधार पर है। इनके अतिरिक्त जो शेष प्रस्ताव उस समझौते की प्रक्रिया में है उन्हे 6 सप्ताह के अंतर्गत भारत तथा श्री लंका सरकार अन्तिम रूप दे देगी।
16. यदि कोई उग्रवादी गुट इस प्रस्तावों को नही स्वीकार करता तो उसकी स्थिति में भारत को निम्न कार्य करनें होगे।
    i. भारत यह देखेगा कि श्री लंका की एकता, अखण्डता और सार्वभौमिकता को खतरा पहुँचने वाली कोई गतिविधि उसकी भूमि पर तो नहीं हो रही है।
    ii. भारत की नौसेना भी तमिल उग्रवादी गतिविधियों को रोकने में श्री लंका की नौसेना की मदद करेगी।
    iii. यदि श्री लंका सरकार भारत सरकार से यह आग्रह करती है कि वह इन प्रस्तावों को कार्य रूप में लाने के लिए सैनिक सहायता करे तो भारत सरकार सैनिक सहायता देकर श्री लंका सरकार का सहयोग करेगी।
    iv. तमिलनाडु से श्रीलंका के विस्थापित की वापसी के साथ ही भारत सरकार श्री लंका स्थित भारतीय नागरिकों को वापस ले लेगी। [21]
    v. भारत सरकार और श्रीलंका सरकार पूर्वी और उत्तरी प्रान्तों में निवास कर रहे सभी वर्गो के लोगो की शारीरिक सुरक्षा और संरक्षा में सहयोग करेगी।
17. श्रीलंका सरकार पूर्वी और उत्तरी प्रान्तों में परिषदों के चुनावों में मतदाताओं के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से साझीदारी के लिए व्यवस्था का आश्वासन देगी और इस दृष्टि से भारत सरकार की भी पूरी मदद करेगी।
18. श्रीलंका की राजभाषा सिंहली होगी लेकिन तमिल और अंग्रेजी भी राजभाषा मानी जाएगी।

निष्कर्ष

इस प्रकार हम कह सकते है कि जातीय समस्या के समाधान में भारत की भूमिका सक्रिय रूप से रही है। भारत एवं श्रीलंका के बीच आपसी सहयोग से तमिल समस्या समाधान हेतु भरसक प्रयास हुए। शांति सेना को लेकर भारत पर कई तरह के आरोप लगे। भारत निर्गुट देश होने का नेता होने के कारण हस्तक्षेप की नीति का प्रबल विरोध रही है हम हस्तक्षेप को पवित्र सिद्धान्त मानतें हैं। हस्तक्षेप की नीति पंचशील का प्रथम सिद्धान्त है। भारत वस्तुतः अहस्तक्षेप की नीति अपनाता रहा है विद्वानों के अनुसार सही को समर्थन देना अथवा गलत का विरोध करना हस्तक्षेप नही कहलाता है।[22] वह तो मर्यादित या आवश्यकता के कारण हस्तक्षेप करना पडता है। भारत – श्रीलंका का समझौता श्रीलंका की एकता के लिए एक प्रयास था।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

The efoorts made by the Governement of India fo solution of the ethnic problem see next chapter.
The Hndu May, 1986
The Indian May express 1986
The Times of India 2-6-1987
Times of India, 6-6-1987
Latter on, Mr. Hameed attended the meeting of SAARC

1. *V.P. Vaidik, Jaynardenc Lanka is Burning Carvan (New Delhi) Ist Sept, 1984*
2. *The Hindu 29 Aug, 1984*
3. *Athulathmudali - my recent visit to India (1984) P-9*
4. *Elam mean in Tamil - Srilanka, Tamil Elam means where Tamils are in majority.*
5. *India Today 30 April, 1985*
6. *The Asian Recorder (Aug. 13-19/86) P-190 for details see appendix VI*